संचिका संख्या : 2143/4/30/2021

दिनांक :—01.06.2022

आवेदिका सेवानिवृत्त शिक्षिका राजकीयकृत मध्य विद्यालय, धर्मपुर के द्वारा यह कहते हुए कि वे दिनांक—30.11.2016 को सेवानिवृत्त हुई थी। वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0—8921, दिनांक—07.12.2018 के आलोक में दिनांक—01.01.2006 से वेतन पुनरीक्षित किया गया, जिसकी विवरणी तैयार कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी—सह—विपत्र संरचना पदाधिकारी के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), समस्तीपुर को भेजी गई, परन्तु अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

कई आदेशों के पश्चात् जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर का प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका, मध्य विद्यालय धर्मपुर, समस्तीपुर द्वारा वित्त विभाग के संकल्प सं0—8921, दिनांक—07.12.2018 के आलोक में दिनांक—01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के पश्चात् दिनांक—01.04.2007 से दिनांक—03.11.2016 तक की अन्तर वेतन राशि 2,12,066 रु का भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।

मामला शिड्यूल—II पुनरीक्षित वेतनमान में बकाया राशि अन्तर भुगतान से संबंधित है, जिस पर वित्त विभाग के ज्ञापांक—5770, दिनांक—10.11.2020 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि निम्नलिखित निर्देश सभी जिला लेखा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा गया हैः—

''निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0—8921, दिनांक—07.12.2018 के द्वारा दिनांक—01.01.2006 के प्रभाव से न्यूनतम वेतन स्वरूप संकल्प सं0—630, दिनांक—21.01.2010 के शिड्यूल—II में विहित न्यूनतम वेतनमान कम यथा— ग्रेड—पे आधारित, अनुमान्य किया गया है।

2. यह न्यूनतम वेतन वैसे कर्मियों को अनुमान्य होना है, जो दिनांक—01/01/2006 के पूर्व या बाद में कार्यात्मक, अकार्यात्मक प्रोन्नति प्राप्त हों या नियुक्त हों। कार्यात्मक प्रोन्नति का तात्पर्य नियमित प्रोन्नति से है जबकि अकार्यात्मक प्रोन्नति का तात्पर्य ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 से है।

3. राज्य के राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों की स्थिति राज्य कर्मियों को उपलब्ध ए0सी0पी0 की सुविधा से संपन्न है। इन्हें वरीय अथवा प्रवरण वेतनमान की सुविधा देय है। वित्त विभाग के प्रपत्र संख्या–7746, दिनांक–16/11/2000 के अनुसार वरीय/प्रवरण वेतनमान दिये जाने के समय निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं है। अतः इन शिक्षकों को पूर्व के प्राप्त इन वेतन प्रक्रम को वरीय/प्रवरण वेतनमान में मात्र शिफ्ट किया जाना है।

4. ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 से वरीय/प्रवरण वेतनमान की स्थिति भिन्न है तथा दोनों एक–दूसरे के समकोटि के नहीं है। अतएव, वित्त विभागीय संकल्प संख्या–8921, दिनांक–07/12/2018 का लाभ इन शिक्षकों के लिए, जिन्हें वरीय/प्रवरण वेतनमान का लाभ दिनांक–01/01/2016 से दिये जाने के क्रम में शिड्यूल–II का न्यूनतम प्रक्रम की अनुमान्यता का निर्णय नहीं है।

कृपया अपने स्तर से सभी जिला लेखा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधितों को तदनुसार सूचित करने की कृपा की जाय।''

उपरोक्त संकल्प के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इस संबंध में निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लेना है। अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर को इस संबंध में संकल्प के संबंध में किसी वरीय पदाधिकारी के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है तथा अगली तिथि को वरीय पदाधिकारी को स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांक–17.08.2022 को प्रतिवेदन एवम् अग्रेत्तर कारवाई हेतु।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson